

मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक साल के लिए बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त किया बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर

ममता बनर्जी इस आदेश से अत्यंत विचलित हुई, क्योंकि वे किसी भी तरह से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं होने देना चाहती हैं प. बंगाल में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस फैसले से झटका लगा है कि चुनावी कामकाज के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए बाहरी डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा स्टाफ को नियुक्ति की जाएगी।

वे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इलेक्शन बुथ बनाने के सी.ई.सी. के फैसले का भी विरोध कर रही हैं।

अगर ये कदम लागू होते हैं, तो ममता बनर्जी की बड़े पैमाने पर होने वाली चुनावी धांधली और डेटा में हेरफेर पर सीधा प्रहार होगा। यही वह मुख्य तरीका है, जिसके आधार पर ममता बनर्जी चुनाव प्रक्रिया पर पकड़ बनाए रखकर सत्ता में बनी हुई हैं।

ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम समर्थकों को आश्वासन दिया था कि पश्चिम बंगाल में न तो कोई एसआईआर

■ उन्होंने ब्लॉक लेवल अफसरों को भी उकसाया, सर की प्रक्रिया पूरी होने से रोकने के लिए। इन लोगों ने झंडा प्रदर्शन किए और प्रचारित किया कि ब्लॉक लेवल के अफसर काम के दबाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।

■ बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से भारत में आए लोग विशेष रूप से सर प्रक्रिया से भयभीत हैं, क्योंकि वे फर्जी कागजों के सहारे भारत में चल रही सभी स्क्रीमों का भरभूर लाभ ले रहे थे।

■ यह एक अपराध है। अतः बहुत सारे बांग्लादेशी अपने घरों पर ताला लगाकर बांग्लादेश जा चुके हैं और यह प्रक्रिया जारी है।

■ चुनाव आयुक्त ने यह भी व्यवस्था बैठवाई है कि बड़े-बड़े हाउसिंग कॉम्प्लैक्सों में मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनसे गैर कानूनी तरीके से आए बांग्लादेशियों की उपस्थिति साफ नज़र आएगी।

होगा और न ही मतदाता सूची में कोई संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कई वगै

से वादा किया था कि वे एस.आई.आर. सहित, ऐसे किसी भी कदम का कड़ा

विरोध करेंगी।

लेकिन अब उनके पास एस.आई.आर. को लागू होते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इससे मुस्लिम वोट बैंक के कई हिस्से, खासकर वे लोग, जो सीमा पर से घुसपैठ कर आए थे, बेहद नाराज हैं।

यह मुद्दा उठते ही ममता बनर्जी ने इसे लागू करने का विरोध करने के लिए चारों तरफ से हमला बोल दिया है। उन्होंने नए प्रस्तावों का विरोध करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भी लिखा है।

ममता बनर्जी ने अपने हमले का दायरा और बढ़ा दिया है। उन्होंने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ), जो मतदाता सूची में ज़मीनी स्तर पर सुधार करते हैं, को भी भड़काया है कि वे अपने ऊपर काम के बढ़ते दबाव का विरोध करें। वे कह रही हैं कि बीएलओ अत्यधिक काम के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं।

इसके अलावा, एसआईआर लागू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘धारीवाल को हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के किस भाग पर आपत्ति है’

जयपुर, 24 नवंबर। प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए धारीवाल के वकील कपिल सिब्बल से एक सप्ताह में यह बताने को

■ सुप्रीम कोर्ट ने धारीवाल के वकील से एक सप्ताह में जवाब मांगा।

कहा है कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के किस भाग पर आपत्ति है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई आगे के लिये टाल दी है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती पर अभ्यर्थियों व आरपीएससी से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 24 नवम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लोक मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए, एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य मंजू शर्मा की ओर से दायर अपील पर भी पक्षकारों को जवाब देने को कहा है। वहीं, खंडपीठ ने मामले में 5 जनवरी को सुनवाई तय की है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष

■ राज्य सरकार की भर्ती रद्द नहीं करने की अपील पर सुनवाई 5 जनवरी को।

शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश मामले में दायर अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि अपील में कहा गया कि पूरे भर्ती रद्द होने से इसका असर निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन पर पड़ रहा है। इसके अलावा, यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती है तो कानूनन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य मंजू शर्मा ने एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश में उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को अपील में चुनौती दी है।

कैनडा के प्र.मंत्री कार्नी मोदी के निमंत्रण पर 2026 में दिल्ली आएंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 नवंबर। कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।

दोनों नेताओं ने जून में कनानास्किस में हुए जी7 सम्मेलन के दौरान हुई पिछली मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। साथ ही, उन्होंने अक्टूबर में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा घोषित नए द्विपक्षीय रोडमैप की भी सराहना की। प्रधानमंत्री कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, 2026 की शुरुआत में भारत आने पर सहमति जताई।

13 नवंबर 2025 को नई

■ दोनों प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2025 को हुए कॉन्ग्रीहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) की प्रगति पर संतोष जताया और आशा की कि 2030 तक 70 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा दोनों देशों के मध्य।

■ प्रधानमंत्रियों ने कानून व्यवस्था के संबंध में दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान को भी आशाजनक बताया।

■ जैसा कि विदित ही है, अगस्त 2025 में काफी समय बाद, दोनों देशों ने हाई कमिश्नर नियुक्त किये थे, दोनों देशों की राजधानी में और तब से कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य सी होती जा रही है।

दिल्ली में हुई व्यापार और निवेश पर 7वीं मंत्री-स्तरीय वार्ता के आधार पर दोनों नेताओं ने एक महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, कॉन्ग्रीहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) के लिए विधिवत् वार्ता शुरू करने पर

सहमति जताई। इस समझौते में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, कृषि और कुशल-खाद्य, डिजिटल व्यापार, गतिशीलता और सतत विकास जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि सीईपीए एक मजबूत आर्थिक

में कमाई गई आय और लाभ पर यूके टैक्स नहीं लगता था, जब तक कि वह पैसा ब्रिटेन नहीं लाया जाता था। यही व्यवस्था लंदन में फैमिली ऑफिस स्थापित करने वाले वैश्विक उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण थी। विदेशी निवेशकों के लिए इस व्यवस्था को खत्म करना और नए नियम लागू करना इस सवाल को ही बदल देता है कि क्या ब्रिटेन में रहना फायदेमंद है। रैमिटेस-बेस्ट टैक्सेशन का वह खास इंसेंटिव अब खत्म हो गया है, जो कभी यू.के. को यूरोप के अन्य उच्च-कर व्यवस्था (हाई-टैक्स कॉन्ट्रिब्यूटल सिस्टम) वाले देशों से अलग बनाता था। इससे भी बड़ा झटका इनहेरिटेस टैक्स को रैजिडेंस-आधारित बनाना है। मितल के सलाहकारों के अनुसार, यही सबसे गंभीर मुद्दा था। नए नियम के

तहत, जो भी व्यक्ति पिछले 20 टैक्स वर्षों में से 10 साल यूके में रहा है, उसकी दुनियाभर की संपत्ति पर 40 प्रतिशत इनहेरिटेस टैक्स लगेगा। बड़े इन्टरनैशनल एस्टेट, क्रॉस बॉर्डर ट्रस्ट और मल्टीनेशनल होल्डिंग्स वाले इन्वैस्टर्स के लिए यह बदलाव देश में लंबी अवधि के निवास को वित्तीय खतरा बना देता है। इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स की नई संरचना भी दबाव बढ़ाती है, क्योंकि विदेशी आय और लाभ पर चार साल की छूट (एफ.आई.जी. व्यवस्था) सिर्फ नए आने वालों के लिए है। मितल जैसे लंबे समय से रहने वाले लोगों को ग्लोबल इन्वैस्टेंट इंकम पर टैक्सेशन में तुरंत भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपने नब्बेवें जन्मदिन के दो सप्ताह पहले धर्मेन्द्र ने दुनिया से विदाई ली

लुधियाना के नसराली गाँव के ग्रामीण लड़के ने सदा स्वीकार किया कि उन्होंने दिलीप कुमार के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर फिल्मों में आने की ठानी थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 नवंबर। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेन्द्र का मुंबई में निधन हो गया। दो सप्ताह बाद, उनका 90वाँ जन्मदिन मनाया जाना था। दो हफ्ते पहले भी मुंबई के एक अस्पताल में उनके निधन की झूठी खबर टीवी चैनलों पर चली थी, लेकिन वह फेक न्यूज़ साबित हुई।

धर्मेन्द्र से पहले भारतीय सिनेमा के

समाप्त नहीं हो रहा कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का मसला

नयी दिल्ली, 24 नवंबर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर खींचतान जारी है और छह से ज्यादा कांग्रेस विधायक रविवार देर शाम दिल्ली पहुंचे। पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस विधायकों का दिल्ली आना जारी है।

सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक कांग्रेस में राजनीति इन दिनों काफी तेज हो चुकी

■ कर्नाटक के विधायकों का दिल्ली आना लगातार बना हुआ है।

है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब शिवकुमार गुट के विधायक दिल्ली आये हैं।

दिल्ली में जुटे सभी विधायक मुख्यमंत्री सिद्धार्थैया के खिलाफ असंतोष जता रहे हैं। विधायकों का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अरबपति लक्ष्मी मित्तल ने इंगलैंड की नागरिकता छोड़ कर स्विट्ज़रलैण्ड को अपना घर बनाया

इस परिवर्तन का मुख्य कारण है, इंगलैंड की नई लेबर सरकार ने देश की टैक्स व्यवस्था में नॉन डोमिसाइल इन्वेस्टर को मिल रही रैमिटेस का आधार बदल दिया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। स्टील उद्योग के दिग्गज लक्ष्मी मित्तल ने यूनाइटेड किंगडम में अपनी तीन दशक लंबी निवास अवधि (रेजिडेंसी) को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है।

नई लेबर सरकार की वजह से फिस्कल माहौल में आई बड़ी गड़बड़ी के जवाब में उन्होंने अपना टैक्स बेस यूके से बाहर खरीद से लेकर बड़े स्तर के सामाजिक कार्यों तक, उनकी मौजूदगी लंदन की हाई-प्रोफाइल दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए, उनका जाना सिर्फ व्यक्तिगत टैक्स निर्णय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे यूके की विदेशी निवेशकों के बीच पटती स्थिरता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मित्तल और अन्य अमीर विदेशी भारतीय मूल के मित्तल, जो आर्सेलर मित्तल के संस्थापक हैं और 2025 संडे टाइम्स रिच लिस्ट में 15.444 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ आठवें स्थान पर रहे, 1995 से लंदन में अपने वैश्विक साम्राज्य का संचालन कर रहे थे। वे शहर के एलीट लोगों में शामिल थे। कैसिंटन पैलेस गार्डन्स में “ताज मित्तल” नाम के शानदार मेशन की खरीद से लेकर बड़े स्तर के सामाजिक कार्यों तक, उनकी मौजूदगी लंदन की हाई-प्रोफाइल दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए, उनका जाना सिर्फ व्यक्तिगत टैक्स निर्णय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे यूके की विदेशी निवेशकों के बीच पटती स्थिरता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मित्तल और अन्य अमीर विदेशी

■ रैमिटेस व्यवस्था में हाई नेटवर्थ व्यक्तियों की ऑफ शोर इनकम पर टैक्स नहीं लगता था जब तक यह इनकम ब्रिटेन में ना लाई जाए।

■ यह एक सुविधा अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों को लंदन में ऑफिस खोलने के लिए प्रोत्साहित करती थी। अब रेजिडेंस बेस्ट इनहेरिटेस टैक्स व्यवस्था लागू होने से जिन व्यक्तियों की रिहाइश बीस में से दस साल इंगलैंड रही है तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति पर दस प्रतिशत टैक्स लाज़मी हो गया है।

निवासियों के लिए सबसे बड़ा झटका लेबर सरकार द्वारा सदियों पुराने “नॉन-डॉमिसाइल” (नैर-निवासी) टैक्स नियम को खत्म करना और अप्रैल 2025 से उसकी जगह, कहीं अधिक सख्त व्यवस्था लागू करना था। यह

बदलाव डॉमिसाइल-आधारित प्रणाली से हटकर एक सख्त रेजिडेंस-आधारित टैक्स ढांचे की ओर एक बड़ा परिवर्तन है। पुराने नियम के तहत नॉन-डॉमिसाइल निवेशक “रैमिटेस बेसिस” का लाभ उठाते थे, जिसके तहत विदेश

मोदी आज रामजन्म भूमि मंदिर जायेंगे

नई दिल्ली 24 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि देश

■ दोहर 12 बजे करीब वे रामजन्म भूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहरायेंगे।

के सामाजिक-सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल में यह एक विशिष्ट अवसर होगा।

मोदी सुबह सप्तमंदिर जाएंगे, जहां महर्षि विशिष्ट, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी से जुड़े मंदिर हैं। इसके बाद वे शेषावतार मंदिर जाएंगे।

इसके बाद, प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे और राम दरबार गर्भ गृह में दर्शन तथा पूजा करेंगे। बाद में वह राम लला गर्भ गृह में दर्शन करेंगे। दोपहर करीब बारह बजे प्रधानमंत्री (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

आदमी की दुर्भावना उसके दुश्मन के बजाय उसे ही अधिक दुःख देती है।
—**चार्ल बक्सटन**

कार्योत्तर स्वीकृति की संस्कृति उपयुक्त नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय दिया है, जिसके द्वारा उसने अपने ही निर्णय को बदल दिया। 2०17 से पूर्व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह प्रावधान था कि बड़े और विशेष प्रकार के उद्योग स्थापित करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाय। इस हेतु विशेषज्ञों की समिति, स्थापित होने वाले उद्योग के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने या न करने की अनुशंसा करती थी। पर्यावरण संबंधी कानून के अंतर्गत इसका प्रावधान था। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना था। यह देखा जाता था कि उद्योग के कारण पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या वह अत्यावश्यक है?

भारत सरकार ने औद्योगिकरण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 2०17 में यह आदेश जारी किया कि पर्यावरणीय पूर्व स्वीकृति के अभाव में उद्योग लगाने का काम रोका नहीं जाएगा और यह उद्योग स्थापित होने के बाद में भी लिया जा सकेगा। ऐसी शिथिलता प्रदान करने का दबाव कई बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा बनाया जा रहा था ताकि वे तेजी से अपनी परियोजना पर काम कर सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी प्रकार की परियोजना पर काम करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं रहा । इस झूट के कारण पानी का प्रदूषण, जंगलों की कटाई तथा वायु प्रदूषण बड़ी मात्रा में होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। इसके कारण गरीब आदिवासी लोगों को अपने विस्थापन का दर्श झेलना पड़ा था।

पर्यावरण विदों द्वारा इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई। सर्वोच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सरकार के 2०17 के आदेश पर 2०22 में रोक लगा दी। न्यायालय ने यह कहा कि पर्यावरण के प्रकरणों में इस प्रकार से कार्योत्तर स्वीकृति का कोई अर्थ नहीं रहेगा एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आशंका बनेगी। इस निर्णय के विरुद्ध कुछ उद्योगपति न्यायालय में गए। हाल ही में दिया गया निर्णय उसी की परिणति है। यह निर्णय तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा 2 – 1 के बहुमत से पारित किया गया। न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां ने इस बहुमत के निर्णय के विरुद्ध अपना मत दिया और स्पष्ट कहा कि पर्यावरण संबंधी अनुमोदन के बिना किसी परियोजना का कार्य प्रारंभ होना, पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। यह उल्लेखनीय है कि काम शुरू होने पर पर्यावरण की स्वीकृति लेने का दबाव समाप्त हो जाता है। कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक प्राधान्य पत्र पर विचार होता है, तब यह प्रिबुद्ध हो जाता है कि स्वीकृति नहीं दी गई तो किया गया करोंड़ा रुपए का व्यय व्यर्थ हो जाएगा। हमने यह पहले भी देखा है कि कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने किसी बात को गलत माना, किंतु केवल इस आधार पर उसे झूट दे दी कि अब समय बहुत निकल चुका है और किसी भी किए गए कार्य को उलट देना संभव नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने एक बार पुनः औद्योगिक घरानों को अन्य पर्यावरणीय घटकों के साथ खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान कर दिया है क्योंकि अब उन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रही है।

कार्यपालिका तो पहले ही कानून की पालना करने में लगभग असमर्थ ही रही है ।लगभग सभी प्रकार के प्रकरणों में जब कोई कानून के विरुद्ध काम हो जाता है, तो कार्यपालिका समय-समय पर उसे नियमित करने में लगी रहती है। ये कार्य चुनौतों से पूर्व शिथिल लगा कर किए जाते हैं।

सरकारी भूमि पर जितने भी अतिक्रमण हुए, चाहे वे चारागाह भूमि पर हों, नदी/ नाले पर हों या वन भूमि पर हों,उन सब अतिक्रमणों के पीछे केवल एक ही कारण है। जब अतिक्रमण प्रारंभ हुए तो उन्हें सरकार ने होने दिया और बाद में इस आधार पर नियमित कर दिया कि अब तो बहुत समय हो गया है, इन्हें हटाना संभव नहीं है ।

जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर कार्यरत था तो कुछ छात्रों ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षित सीटों पर प्रवेश लिया था। इसके विरुद्ध अपील होने पर,उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया कि छात्रों का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हुआ तो है, किंतु फिर भी उनका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश निरस्त नहीं किया जाए। ऐसा निर्णय इसलिए दिया कि वे तीन-चार वर्ष तक पढ़ाई तो कर ही चुके हैं। तो कर ही चुके हैं। यह किस प्रकार का तर्क है कि पहले तो समय पर कोई कार्रवाई न्यायपालिका अथवा कार्यपालिका न करे और बाद में उसे नियमित करने की बात करे?

इस प्रकार की प्रवृत्ति नगर निगम ,जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, कलेक्ट्रेट, खनिज विभाग, उद्योग विभाग आदि में पाई जाती है। पहले तो कानून विरुद्ध कार्यवाही को होने दें और एक बार जब ऐसा हो जाए तो बाद में यह कहेंगे कि अतिक्रमण को नियमित कर दिया जाय क्योंकि समय अधिक हो गया है, इसलिए इसे हटाना जनहित में नहीं होगा।

बहु मंजिला भवन के लिए आवश्यक ऑक्सीपेंसी प्रमाणपत्र के बिना ही उसमें खरीददार रहना प्रारंभ कर देते हैं।सिनेमा और अस्पताल बिना फायर एनू ओ सी के काम करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी कारण आग लग जाती है। हाल में जयपुर के एस एम एस हॉस्पिटल में आग लगने से कई मरीजों की मौत हो गई थी। स्पष्ट है, कार्योत्तर स्वीकृति की प्रवृत्ति, कानून की अवहेलना को ही बढ़ावा देगी। वैसे ही, देश में सामान्य धारणा यह बनती जा रही है कि यहां पर कानून का राज नहीं है और जो व्यक्ति कानून तोड़कर अवैधानिक कार्य कर ले, उसे सरकार कुछ समय के बाद स्वयं ही नियमित कर देगी। जब कोई भवन निर्माण की अनुमति चाहे तो यह अनिश्चितकाल तक नहीं दी जाएगी किंतु यदि कोई बिना किसी प्रकार का सेटबैक छोड़े या भवन निर्माण के कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ भी निर्माण कर ले, उसे बाद में नियमित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कानून के अनुसार काम करना चाहता है वह अपने आप को ठगा सा महसूस करता है।

जिस समय कृषि भूमि पर या सरकारी भूमि पर गैर कानूनी बस्तियां बस रही होती हैं, उस समय तो जयपुर विकास प्राधिकरण या नगर निगम के लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं । जब बड़े स्तर पर लोग उसमें प्लॉट खरीद लेते हैं या मकान बना लेते हैं तो फिर यह बहाना बनाया जाता है कि इनको हटाय़ा नहीं जा सकता। मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आड़ में गैरकानूनी काम को नियमित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने इसी प्रकार की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देने का ही काम किया है।

कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि करने या उद्योग स्थापित करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है । यदि कार्योत्तर स्वीकृति का ही प्रावधान रखा गया तो फिर सभी लोग अनियोजित रूप से बस्तियां बसा लेंगे एवं व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ कर देंगे। इसके कारण सामान्य नगरीय व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। देखा यहभी गया है कि इन्हें नियमित करने के लिए सरकार शिविर तक आयोजित करती है और एक प्रकार से गैर कानूनी काम पर सरकारी ठप्पा लगाने का ही काम करती है।

इसी प्रकार, उद्योग की भी यही स्थिति है। यदि पर्यावरण की स्वीकृति लेना जनहित में आवश्यक मान कर कानून बनाया गया था तो फिर उद्योग लगाने से पहले इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषित करने में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही बराबर के दोषी हैं।

वन कटाई का मामला हो, वन क्षेत्र में खनन का मामला हो या नदी के पेटे से बजरी निकालने का मामला हो, केवल नाम मात्र का जुर्माना लगा कर सरकारें अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं। इन सबको केवल इस आधार पर नियमित कर दिया जाता है कि समय अधिक हो गया है ।

संभागीय आयुक्त के पद पर कार्य करते समय एक प्रकरण ऐसा आया था जिसमें नाले के बीच में अवैध अतिक्रमण करके बहु मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था । निर्माण प्रारंभ होते ही इसे जयपुर विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया था किंतु उस पर समय रहते कोई कार्रवाई न करने के कारण इस भवन का ढांचा खड़ा गया। इसे अंततः न्यायालय के आदेशानुसार विस्फोटकों का उपयोग करके ध्वस्त करना पड़ा था। यदि समय पर नियमों की पालना करके रोक दिया जाता, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती ।

यह एक सर्व ज्ञात तथ्य है कि दिवाली के समय जिन दुकानों पर पटाखे बेचे जाते हैं उनमें अधिकांश द्वारा कोई लाइसेंस नहीं लिया जाता है । कानून के अनुसार बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखों का विक्रय नहीं कर सकता है।जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, यह चलता रहता है। जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर इसकी जांच होती है कि बिना लाइसेंस की दुकान कैसे चल रही थी? शायद प्रशासन यह मानकर चल रहा था कि एक बार दुकान शुरू हो जाए तो बाद में हम उनका लाइसेंस दे देंगे । स्पष्ट है, चलती दुकान का लाइसेंस लेने के लिए वह "सुविधा शुल्क" देने को बाध्य हो जाता है।

वाहनों के फिटनेस का भी यही हाल है। पहले तो अनफिट वाहनों को सड़कों पर चलने से नहीं रोका जाएगा और जब बहुत समय तक चलते रहेंगे तो बाद में फिटनेस बनाया जाएगा। बिना फिटनेस के वाहन चल ही कैसे सकता है, इसका कोई उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिया जाता। ऐसा करने से कानून बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अधिकांश ऐसे वाहन प्रभावशाली जन प्रतिनिधियों अथवा अधिकारियों के ही होते हैं।

हमारे देश में कानून तो शायद दुनिया में सबसे अधिक है, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि इनकी पालना लागूभग नगण्य है । जो व्यक्ति समर्थ है, वह कानून को धत्ता बताते हुए सारे गैर कानूनी कार्य कर लेता है और फिर अपने प्रभाव से उन सबको नियमित भी करा लेता है।

जो व्यक्ति कानून के अनुसार पूर्व अनुमति लेकर कोई कार्य करना चाहता है तो वह अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करता रह जाता है और दुनिया की नजरों में 'मूर्ख' ही सिद्ध होता है, जबकि कानून तोड़ने वाला होशियार कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन भी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करता है।

अंत में निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्योत्तर स्वीकृति का निर्णय एक प्रतिगामी कदम है और विशेष रूप से पर्यावरण एवं जनहित की दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। आशा है, शीघ्र ही इसकी समीक्षा होगी और इस निर्णय में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

—**अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)**

मत्स्य उत्सव : मेहंदी, रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने दिखाया हुनर

बाबा भर्तृहरि पैनोरमा पर ही बाबा भर्तृहरि की जीवनी पर नाटिका का भव्य मंचन हुआ

अलवर, (निर्स)। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित चार दिवसीय मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन राजा भर्तृहरि पैनोरमा परिसर में मेहंदी, रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिता एवं श्री भर्तृहरि नाटक का आयोजन हुआ।

मत्स्य उत्सव के अवसर पर भर्तृहरि पैनोरमा परिसर में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की मेहन्दी,रंगोली एवं पेंटिंगप्रतियोगिताएं आयोजित हुईं, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट अलवर के प्रधानाचार्य ओमप्रकाश ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 12 तक एवं कॉलेज स्तर पर मेहन्दी प्रतियोगिता आयोजित हुईं, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की मेहन्दी प्रतियोगिता में योगिता शर्मा प्रथम, अनुष्का द्वितीय व सुहानी सोनी तृतीय स्थान पर रही, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की मेहन्दी प्रतियोगिता में चंचल शाह प्रथम, विधि सांकला द्वितीय व ऐंजल विजय तृतीय स्थान पर रही तथा कॉलेज स्तर पर पिंकी जाटव प्रथम, मुस्कान द्वितीय व प्रियांशी तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रकार पेंटिंग प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों में लाक्षी



चार दिवसीय मत्स्य उत्सव में मेहंदी, रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगितायें आयोजित हुई।

प्रथम, कनिष्का द्वितीय व आयुषी सालवान तृतीय स्थान पर रही तथा कॉलेज स्तर पर देवांश जांगिड़ प्रथम, पूजा मीणा द्वितीय व दिप्ती रानी तृतीय स्थान पर रही। रंगोली प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

बाबा भर्तृहरि के जीवनी पर नाटिका का हुआ मंचन :- मत्स्य उत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में

मांगलियावास के लिए एक्सप्रेस रोडवेज बस स्टैंड घोषित करने की मांग

अजमेर/ मांगलियावास, (कासं)। मांगलियावास सहित आसपास के लगभग 15 गांवों के ग्रामीणों ने अजमेर से संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मांगलियावास में एक्सप्रेस रोडवेज बसों का स्टैंड घोषित किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रात के समय आवागमन में होने वाली गंभीर परेशानी से राहत मिल सके।

ग्रामीणों ने बताया कि मांगलियावास ब्यावर और अजमेर के बीच स्थित है तथा अजमेर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। रात के समय अजमेर से मांगलियावास आने-जाने के लिए कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं रहती। शाम 7:30 बजे के बाद अजमेर और ब्यावर से न तो रोडवेज की बस मिलती है और न ही स्थानीय बस, इस कारण ग्रामीणों को मजबूरन रात गुजारनी पड़ती है या महंगे किराये पर अन्य साधन लेने पड़ते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि सुबह 6:30 बजे के बाद ही स्थानीय

■ **रोडवेज बसों का स्टैंड घोषित होने से लोगों को रात के समय आवागमन में होने वाली गंभीर परेशानी से राहत मिल सकेगी**

बसें चालू होती हैं, जिसके कारण रात की आपात स्थिति में मरीजों, छात्रों, कर्मचारियों और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंचायत समिति सदस्य, उपसरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता सहित ग्रामीणों ने

बताया कि मांगलियावास होकर अजमेर, ब्यावर, जयपुर, जोधपुर व अन्य शहरों के लिए बसों का आवागमन होता है। बसें मांगलियावास से होकर गुजरती तो हैं, लेकिन यहां रुकती नहीं हैं, जिससे ग्रामीणों को कई किलोमीटर में

अतिरिक्त सफर झेलना पड़ता है।

ग्रामीणों ने राजस्थान रोडवेज प्रशासन से मांग की है कि मांगलियावास को एक्सप्रेस रोडवेज बसों का स्टैंड घोषित किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को रात-दिन सुविधाजनक परिवहन सेवा मिल सके। ज्ञापन सौंपने वालों में कृष्णा देवी गुर्जर (पंचायत समिति सदस्य), रामदेव जाट (मुख्य समाजसेवी), हरिशंकर रेजर सहित स्थानीय ग्रामीण शामिल थे।

श्रीगंगानगर में फसलों पर जमी बर्फ

श्रीगंगानगर, (निर्स)। हिमालय की ओर से आने वाली उत्तरी हवाओं ने श्रीगंगानगर जिले में ठंड बढ़ा दी है। नमी का प्रभाव बढ़ने के साथ ही ठंड का प्रभाव भी बढ़ना शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाकों में सुबह फसलों पर ओस की बूँदें और कोहरा देखा गया। ज्वार की फसल पर हल्की बर्फ भी जमी हुई दिखाई दी। साथ ही धुंध भी छाई रही। जिले में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी का कहर जारी है। कृषि अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री रिकार्ड किया गया। रविवार को यहां न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री व अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री रिकार्ड किया गया। वहीं शनिवार को यहां न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री व अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री रिकार्ड किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले तीन-चार दिनों में एक से दो डिग्री तापमान में और गिरावट आने की संभावना बताई है। श्रीगंगानगर में सोमवार सुबह भी कड़ाके की ठंड का प्रभाव रहा। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इन दिनों मौसम रबी की फसलों के लिए अनुकूल बना हुआ है। आगामी दिनों में सर्दी का प्रभाव और बढ़ने की संभावना है। फसलों के लिए भी ठंड फायदेमंद है। फसलों में सिंचाई पानी की मांग कम होने के साथ ही बढ़वार भी अच्छी होगी।

नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन चार साल से बंद

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी मशीन बंद होने का सीधा फायदा निजी केंद्रों को मिल रहा है, जनता की जेब कट रही है

नसीराबाद, (निर्स)। राजकीय सामन्य चिकित्सालय नसीराबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में करीब चार वर्षों से सोनोग्राफी मशीन जंग और धूल खाती पड़ी है, मगर हैरानी की बात है कि आज दिन तक इसका एक भी ऑपरेटर नियुक्त नहीं किया गया। नतीजा यह कि प्रतिदिन कई मरीज मजबूरी में निजी केंद्रों पर महंगी जांच कराने को विवश हैं।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, मशीन अस्पताल में लंबे समय पहले उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती और गैर ज़िम्मेदारी के चलते अब तक मशीन बंद पड़ी है। हर साल अधिकारियों से जल्द दिशा-निर्देश और 'प्रक्रिया जांच' हैं जैसे बयान मिलते हैं, लेकिन स्थिति उस की तस बनी हुई है। इधर, निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर जांच के लिए मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि



नसीराबाद का राजकीय सामान्य चिकित्सालय।

सरकारी मशीन बंद होने का सीधा फायदा निजी केंद्रों को मिल रहा है। जनता की जेब कट रही है और अस्पताल में सुविधा होते हुए भी लोग दर-दर भटक रहे हैं। गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना पीड़ितों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को सबसे

ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जहाँ सरकारी मुफ्त या सस्ती जांच की बात करती है, वहीं नसीराबाद में सरकारी मशीन बंद होने के कारण मरीजों को गैर जरूरी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चार

राशिफल मंगलवार 25 नवम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2०82, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:58 तक, गंड योग दिन 12:50 तक, बव करण बदन 1०:1० तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-मकर, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज कुमार योग और रवियोग दिन 11:58 से आरम्भ होगा। आज श्री रामजानकी विवाह, नाग पंचमी (द.बंगाल) है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:36 से 10:55 तक, लाभ-अमृत 1०:55 से 1:33 तक, शुभ 2:51 से 4:1० तक। राहूकाल: 3:०0 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:58, सूर्यास्त 5:29 तक

मेघ व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे।

वृष नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

मिथुन अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कर्क परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।संभावित धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

तुला व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य व्यवस्थित होने लगेगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ात से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

मकर मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी।

कुंभ घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। अर्गल कार्यों में समय ख़ाब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागवैड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रहें।

मीन आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य योजना बनेगी। व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

जयपुर मेट्रो विस्तार से कम होगा शहर का ट्रैफिक दबाव : भजनलाल शर्मा

राजधानी जयपुर की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और यातायात को देखते हुए मेट्रो का विस्तार अत्यंत आवश्यक : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। प्रदेश में सुगम और अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो विस्तार परियोजना की समीक्षा बैठक ली।

उन्होंने कहा कि जयपुर की बढ़ती जनसंख्या

■ **जयपुर मेट्रो फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य सरकार ने मंजूर कर केंद्र सरकार को भेजी है, वहां से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा**

■ **परियोजना में 42.80 किलोमीटर लंबे रूट पर 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें 34 एलीवेटेड तथा 2 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल होंगे।**

और यातायात को देखते हुए मेट्रो का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल शहरवासियों



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर मेट्रो विस्तार परियोजना की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्रैफिक दबाव भी काफी हद तक कम होगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जयपुर मेट्रो फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) राज्य सरकार द्वारा मंजूर कर केंद्र को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना में 42.80 किलोमीटर लंबे रूट पर 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें 34 एलीवेटेड तथा 2 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल होंगे।

फेज-2 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन,

संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो और जनता को दीर्घकालीन सुविधा मिल सके। बैठक में मेट्रो परियोजना के फेज-श्री ए, बी और सी के प्रस्तावित मार्गों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आगे की योजनाओं, तकनीकी पहलुओं और लागत का विवरण साझा किया।बैठक के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को मेट्रो विस्तार कार्य में तेजी लाने और इसे समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव और ए.सी.एस. पीएचईडी को तलब किया

लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर जताई नाराजगी

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के संबंध में पेश प्रार्थना पत्र पर सात साल में भी कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है।

इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख कार्मिक सचिव और अतिरिक्त मुख्य पीएचईडी सचिव को 28 नवंबर को तलब किया है। अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि कार्मिक विभाग सात साल से इस प्रार्थना पत्र को लेकर क्यों बैठा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश मुकर्म ह्रुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्मिक विभाग के काम करने का यह धीमा तरीका औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के मकसद को नाकाम कर रहा है और इसके चलते लेबर कोर्ट के फैसले लागू नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने कार्मिक विभाग के रवैये पर नाराजगी भी जताई है। याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने

अदालत को बताया कि लेबर कोर्ट ने 28 मार्च, 2017 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1982 से अर्ध स्थाई करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई।

इस पर याचिकाकर्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत लेबर कमिश्नर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। लेबर कमिश्नर ने 5 मार्च, 2018 को कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर दोषी अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने को कहा। याचिका में कहा गया कि करीब सात साल का समय बीतने के बाद भी कार्मिक विभाग की ओर से लेकर कमिश्नर के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग के इस रवैये के चलते ही लेबर कोर्ट के अवाई की पालना नहीं हो रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को पेश होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

पुलिया पर चलते ट्रक में आग

जयपुर। झोटवाड़ा इलाके में स्थित दादी का फाटक पुलिया पर अचानक से चलते ट्रक में आग लग गई। काफी धुंआ निकलता देख ट्रक चालक ने जैसे-तैसे ट्रक को साइड में लागाया और कूद कर अपनी जान बचाई। जिसके बाद पुलिया पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।

बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर करीब पौने तीन बजे के आसपास दादी का फाटक पुलिया पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही ट्रक अमेजन कंपनी का सामान लेकर आया था और पास ही में उसे खाली कर वापस लौट रहा था। खाली ट्रक में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। दादी का फाटक पुलिया से उतरते वक्त ट्रक के इंजन में धुंआ निकलने लगा और देखते ही आग केबिन में जा पहुंची। तभी ट्रक चालक ने ट्रक को साइड में रोका और नीचे कूद कर जान बचाई।

इंटरनेशनल कबड्डी फैडरेशन में गबन को लेकर एफआईआर दर्ज के आदेश से इनकार

■ **अतिरिक्त सिविल न्यायालय ने परिवादी को साक्ष्य के लिए बुलाया**

जयपुर (कासं)। अतिरिक्त सिविल न्यायालय क्रम-15 महानगर द्वितीय ने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन में पांच करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से इनकार किया है। इसके साथ ही अदालत ने परिवादी को कहा है कि वह अदालत में पेश होकर अपनी साक्ष्य पेश करें। अदालत ने यह आदेश सुनील कुमार के परिवाद पर दिए। परिवाद में आईकेएफ के निदेशक ज्ञानेश्वर कासनी और तेजस्वी सिंह को आरोपी बनाया गया है।

परिवाद में अधिवक्ता अनिल चौधरी ने बताया कि कबड्डी की राष्ट्रीय संस्था एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। जबकि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन,

फेडरेशन न होकर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है। जिसमें दोनों आरोपी निदेशक हैं। कंपनी को साल 2015 से 2024 तक स्टार टीवी ने कुल 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें से सात करोड़ रुपए खेल विकास फंड के नाम पर दिए गए। जबकि यह राशि एकेएफआई को दी जानी चाहिए थी। सीएजी की ओर से ऑडिट कराने का प्रावधान आईकेएफ पर लागू नहीं होते, जिसका दुरुपयोग कर

फंड का गबन किया गया है। इसके अलावा इस कंपनी में विश्व की किसी भी कबड्डी की राष्ट्रीय फेडरेशन सदस्य नहीं है। कंपनी की ओर से विश्व कप कराने की शर्त भी अनुबंध में फर्जी डाली गई है, क्योंकि कंपनी ने कोई वलुड कप नहीं कराया है।

परिवाद में कहा गया कि खेल विकास फंड में प्राप्त सात करोड़ रुपए में से दो करोड़ रुपए का खर्च का हवाला कंपनी की बैलेंस शीट में है, लेकिन शेष राशि का गबन किया गया है। वहीं विभिन्न मर्दों में भी अनावश्यक खर्चा दिखाया गया है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवादी को अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है।

11 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही तीन कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 11 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनिियों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही गायत्री नगर में बिना अनुमति बनाए जा रहे बेसमेंट समेत 3 मंजिला अवैध निर्माण को सील भी किया।

उप महानरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि अजमेर रोड पर बगरू में जेडीए की अनुमति और कृषि भूमि के रूपांतरण करवाए बिना ही 3 बीघा निजी खातेदारी की जमीन पर “दुर्गा विहार” स्कीम काटी जा रही थी।

काशतकार और भूखंड मालिकों ने यहां मिट्टी ग्रेवल की रोड, सीमेंट के ब्लॉक्स की सड़के, कोठरी व अन्य निर्माण कर लिए थे।

इसी प्रकार ग्राम बेगस में 4 बीघा कृषि भूमि पर “सालार सिटी” तथा गोपालपुरा बाईपास, मैट्रो स्टेशन, द्रव्यवती नदी के पास 4 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी। यहां भी प्लॉट्स की बाउंड्रीवाल, ग्रेवल रोड व

■ **बगरू, बेगस तथा द्रव्यवती नदी क्षेत्र में निजी खातेदारी की जमीन पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां**

■ **गायत्री नगर में भी जेडीए की अनुमति के बिना बनाई जा रही बेसमेंट समेत 3 मंजिला इमारत सीज**

अन्य निर्माण कर लिए गए थे। सभी जगहों पर जेडीए टीम ने जेसीबी मशीन और मजदूरों को मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई कर अवैध निर्माण ध्वस्त किए। जौन-5ए में स्थित गायत्री नगर के प्लॉट नं. 165 की जमीन पर बेसमेंट समेत 3 मंजिला अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे भी जेडीए ने सील किया है।

मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की परिवेदनाएं

आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करें अधिकारी : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता से कार्य करते हुए सुशासन की ओर अग्रसर है। सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों, नवाचारों एवं योजनाओं का प्रमुख ध्येय अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जनसुनवाई भी इसी लक्ष्य की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री नियमित रूप से इस जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत दे रहे हैं।

शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने इस दौरान आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुने हुए अधिकारियों को उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई में परिवादी उम्मीद के साथ आते हैं। ऐसे में अधिकारी इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनका शीघ्र निस्तारण करें।

शर्मा ने जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आई महिलाओं, दिव्यांगों,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने निवास पर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी।

बुजुर्गों सहित विभिन्न लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। आमजन अपनी परिवेदनाओं के निस्तारण से बेहद संतुष्ट नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए

■ **मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही होगी**

में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान शर्मा ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर निगमित मॉनिटरिंग करते हुए इसका शीघ्र समाधान करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रकरणों के निस्तारण

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमओयू के तहत स्मार्ट पुलिसिंग, सुरक्षा नवाचार और पेशेवर क्षमता-विकास के लिए संयुक्त कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राज्य की आंतरिक और सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य में पुलिसिंग की उत्कृष्टतम प्रथाओं को लगातार अपनाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए नवाचार पूरे देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के सहयोग से राजस्थान पुलिस भी और अधिक कुशलता के साथ कार्य कर सकेगी। साथ ही प्रदेश में पुलिस की कार्यकुशलता और पेशेवर क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक तथा आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में

डी.जी.पी. राजीव शर्मा की मौजूदगी में एमओयू पर राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण शरद चौधरी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की ओर से डीन अविनाश खारेले ने हस्ताक्षर किए।

कार्य और अधिक संगठित तथा प्रभावी ढंग से संपादित किए जा सकेंगे। साथ ही, बड़ी घटनाओं के दौरान आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ भी लिया जा सकेगा।

शर्मा ने कहा कि राज्य में पुलिस शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में रक्षा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. बिमल एन. पटेल ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने आत्मनिर्भरता के साथ कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आरआरयू की अकादमिक और विश्लेषणात्मक विशेषज्ञता, राजस्थान पुलिस की रणनीतिक तथा परिचालन क्षमताओं को और अधिक मजबूत एवं उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डॉ. पटेल ने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय द्वारा 82 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा विश्वभर में अनेक

प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एमओयू के बाद राजस्थान पुलिस की आरआरयू के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कोर्सों का लाभ आसानी से ले सकेगी। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यों, अनुसंधान गतिविधियों तथा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी भी साझा की।

कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं यातायात) अनिल पालवाल ने स्वागत उद्घोषण देते हुए एमओयू के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभों का विस्तृत और सारगर्भित विवरण प्रस्तुत किया।

एमओयू पर राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण शरद चौधरी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की ओर से डीन अविनाश खारेले ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार अग्रवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन,

साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस एमओयू से पुलिस शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण प्रणाली और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी। विशेष प्रशिक्षण और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस प्रशिक्षकों और अधिकारियों की दक्षता और कौशल को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। इस समझौते से फैकल्टी सदस्यों, पुलिस अधिकारियों एवं शोधकर्ताओं के लिए विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, आतंकवाद विरोधी रणनीति तथा खुफिया प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सकेगा।

संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं एवं नवाचारों से साक्ष्य आधारित पुलिसिंग, डेटा-आधारित रणनीतियों और नीति निर्माण को बढ़ावा मिल सकेगा।

राजस्थान पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी आरआरयू के अकादमिक कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके व्यावसायिक विकास एवं कैरियर उन्नति में सहायता मिलेगी।

उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को 10 दिसम्बर के कार्यक्रम में आर्थिक विकास से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया

